आदेश अभाव टीप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा प्र.नं. - 63/2025
06-06-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी व वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश करने हेतु समय चाहा, न्यायहित में अवसर दिया जाता है। वास्ते पेशी होने जवाब दावा पत्रावली दिनांक 20-06-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
20-06-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी व वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वास्ते पेशी होने जवाब दावा पत्रावली दिनांक 26-06-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
26-06-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी व वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण [illegible] प्रार्थना पत्र इस आशय का [illegible] गया है कि विवादित भूमि ख.नं. 1134/2 रकबा 0.84 है. तथा अकीलाद के [illegible] खातेदार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:07:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरकार बनाम [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

धारा [illegible] मु.नं. 63/2025

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
काश्तकार है तथा उन्होंने अपनी आवश्यकता के चलते अपनी भूमि को आवंटन व विक्रय किया है तथा वर्तमान में उक्त भूमि का स्वामित्व नहीं रहा है। अप्रार्थीगण बादगुजार भूमि का सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति लेकर कृषि से अकृषि उपयोग करना चाहते हैं तथा इस हेतु उन्होंने भू-रूपान्तरण अधिनियम के आवेदन भी पेश कर निर्धारित राशि रुपये 101640/- भी जमा करवा दी है लेकिन प्रार्थी के माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के चलते उक्त संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। साथ ही खसरा नं. 1134/2 रकबा 0.84 हे. रहू अलीगढ़ के भी प्रतिवादीगण रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है जिन पर माननीय न्यायालय के भूमि के बिना अनुमति अकृषि उपयोग के आधार पर स्थगन आदेश पारित कर रखा है जबकि प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी भूमियां मौके पर खाली पड़ी है तथा मौके पर कोई भी अकृषि [illegible] नहीं किया जा रहा है, [illegible] को न्यायालय श्रीमाधोपुर के दिनांक 09-04-25 को अपास्त करते हुए कारणों को बताया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:07:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—लगातार—

सरकार बनाम दीपक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पत्रा मु.नं. - 63/2025

पत्राव० वाले का निरीक्षण किया गया कि वादग्रस्त भूमि के विधिवत संपरिवर्तन की कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र पर श्रीमान पटवार हल्का की मूल जमाबंदी पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया चूंकि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि को कृषि से अकृषि उपयोग की अनुमति हेतु आवेदन पत्र नगर भूखंड बना कर व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर दिया जा चुका है जो व्यावसायिक गतिविधि के रूप में संचालित है जिसकी पुष्टि भी प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई है चूंकि व्यवसायिक का उल्लंघन भी नहीं है कि कोई वांछित भूमि का विधिवत संपरिवर्तन करवा कर ही कृषि से अकृषि उपयोग करें। राजस्व ग्राम खसरा नम्बर 1134/2 रकबा 0.84 हैक्टर की विधिवत संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा शुरू की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 1134/2 के संबंध में प्रकरण को आगे चलाए रखना [illegible] नहीं होता है। अतः खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.84 हैक्टर के संबंध में प्रकरण अभी स्तर पर दर्ज कर नियम खारिज किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

— 26/08/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:07:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मु.नं. - 63/2025	

कि उपनिबंधक एवं मद की मालिक के
अनुसूचित जाति के संपरिवर्तन की संपूर्ण
कार्यवाही करवाकर उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश की
एक प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को अवलोकनार्थ
हेतु भेजे। न्यायालय की निर्णय की तहसीलदार
श्रीमाधोपुर उपनिबंधक के विरुद्ध नियमानुसार
कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पत्रावली
बाद तामील जरूरी होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:07:29 IST
Reason: SelfAttested